यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के माह 4/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हितेन्दर चिकारा, व. ले. प. द्वारा दिनांक 19/2/2021 से 26/02/2021 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी स ले प अ एवं श्री राजा रंजन राव, स ले प अ के द्वारा दिनांक 22/10/2019 से 25/10/2019 तक श्री एस के वर्मा, व ले प अ के पूर्ण कालिक पर्यवेक्षण मे माह 11/2015 से माह 3/2019 तक के लेखा अभिलेखो पर आधारित थी वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 4/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा पेयजल योजनाओ का संचालन एवं रखरखाव कार्य कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला –टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत विकास खंड देवप्रयाग, कीर्तिनगर ,नरेंद्रनगर, जाखनीधार है।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2018-19	1.42	221.95	351.15	346.21	1181.33	1239.60		
2019-20	6.49	163.55	387.77	390.48	904.19	841.52		
2020-21 (01/21 तक)	3.79	226.21	260.47	251.65	690.65	664.00		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2018-19	शून्य				
2019-20					
2020-21					

1. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "बी" है।

   विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक उतराखंड जल संस्थान देहरादून उत्तराखंड।

(3) मुख्य अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान जल भवन बी ब्लाक नेहरू कालोनी

देहारादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान नई टिहरी,

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2020 एवं 07/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। यह इकाई अनुरक्षण का कार्य करती है निर्माण कार्य नहीं किए जाने की वजह से विश्लेषण हेतु कार्य का चयन नहीं किया गया है।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में शून्य निरीक्षण किया गया।
5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई ।

भाग- II (ब)

प्रस्तर-1 : विगत चार वर्षो से रु 185.00 लाख की धनराशि बैंको में FDR के रूप में विनियोग किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अनुरक्षण खण्ड, देवप्रयाग के वार्षिक लेखे की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा रु 90.00 लाख + रु 95.00 लाख = रु 185.00 लाख का विनियोग जनवरी 2017 से बैंको में FDR के रूप में किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि ये धनराशि जनवरी 2017 में NH Division Srinagar PWD से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्यो हेतु प्राप्त हुई थी, जिनका उस समय यथाशीघ्र उपयोग न होने के कारण FDR के रूप में विनियोग किया गया था। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है अत: धनराशि का उपयोग किया जाएगा। इकाई द्वारा अपने उत्तर में उपरोक्त धनराशियों पर विगत चार वर्षो में अर्जित ब्याज के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इकाई के उत्तर से स्वयं ही आपत्ति की पुष्टि होती है।

अत: विगत चार वर्षो से रु 185.00 लाख की धनराशि बैंको में FDR के रूप में विनियोग किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तरः 2 - उपभोक्ताओ से जल मूल्य एवं सीवर चार्ज की लंबित वसूली रु 70.28 लाख ।

उत्तराखंड जल संस्थान विभाग नोटिफ़िकेशन स. 1265/ उन्तीस (1) / 2010 – (03 अधि0) /11- दिनांक 28-02-2011 (उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है, यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है |

कार्यालय अधिशासी अभियंता अनुरक्षण शाखा, जल संस्थान देवप्रयाग के वसूली संबन्धित लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि माह 03/2020 तक शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों / व्यक्तिगत भवनो से जलमूल्य, सीवर चार्ज की रु 284.75 लाख की मांग की गयी थी जिसके सापेक्ष मात्र रु 214.46 लाख की प्राप्ति हो सकी थी तथा रु 70.28[1] लाख की वसूली लंबित पड़ी थी जबकि उपभोक्ताओं को देयक प्रस्तुत किए गए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका था साथ ही लंबित वसूली माह 01/2021 को बढ़कर रु 112.19 लाख हो चुकी थी ।

उत्तराखंड संस्थान पेयजल विभाग नोटिफ़िकेशन के अनुसार कार्यालय द्वारा या तो विच्छेदन या संबन्धित विभागो / आवासो से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु इकाई द्वारा वसूली की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप माह 03/2020 तक रु 70.28 लाख एवं माह 01/2021 तक रु 112.19 लाख के जलमूल्य व सीवर चार्ज की वसूली लंबित थी ।

उक्त प्रकरण को संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ताओ से शत प्रतिशत वसूली का प्रयास माह फरवरी एवं मार्च 2021 मे किया जायेगा।
सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा विगत वित्त वर्ष में भी रु 70.28 लाख की वसूली लंबित थी। जिसकी वसूली लेखापरीक्षा तिथि तक नही की गयी थी, साथ ही माह 01/2021 तक लंबित वसूली बढ़कर रु 112.19 लाख हो गयी थी। जिसकी वसूली अपेक्षित थी।

अत: उपभोक्ताओ से जल मूल्य एवं सीवर चार्ज की लंबित वसूली का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

[1] ***रु 947491 (नगरीय क्षेत्र)+ रु 6081224(ग्रामीण क्षेत्र) = रु 70,28,715/-***

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर -3: रु 47.53 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को राजकोष मे जमा नहीं किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 99/xxvii/(14)200 दिनांक 3-9-2009 के द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि किसी कारणो से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो ओर उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तिया लेखाशीर्ष मे जमा किया जाय । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग के द्वारा अर्जित ब्याज की राशि रु 47.53 लाख को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा नहीं किया जा रहा था इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि ब्याज की राशि का उपयोग कार्यालय व्यय मे किया जाता है परंतु कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया है इसलिए उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है ब्याज की राशि वित्तीय नियमो के अनुसार लेखाशीर्ष 0049 मे जमा की जानी चाहिए जब तक इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगह उपयोग करने के लिए वित्त विभाग के आदेश पृथक से उपलब्ध न हो ।

अतः रु 47.53 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि को 0049 लेखाशीर्ष मे जमा नहीं करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर-4: रु 6.67 लाख स्टॉक अवशेष सामग्री का असमायोजित रहना ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु 6.67 लाख की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है। खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संबंध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- यथाशीघ्र समायोजन कर लिया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना अवशयकता के किया गया है ।

अत: रु 6.67 लाख की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
132/2015-16	-	1,2,3	-
125/2019-20	-	1,2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अधीक्षण अभियंता को प्रेषित की गई है ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री नरेश पाल सिंह	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)